(137)

न्यायालय श्री मान् रेवन्यू बोर्ड आफ ॥ म0 प्र0 ॥ ऐट ग्वालियर,

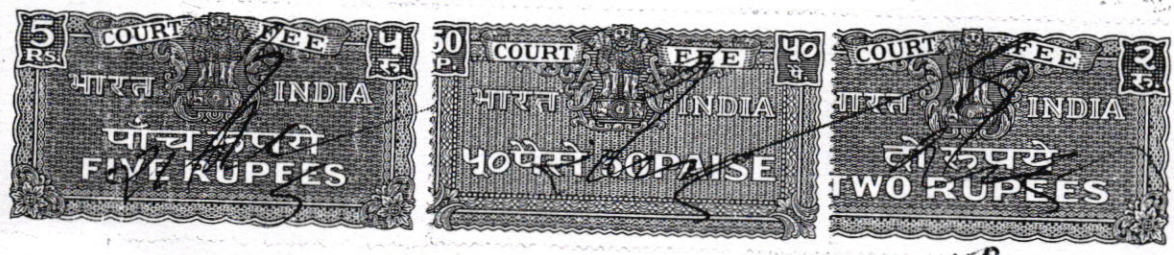

COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

COURT FEE भारत INDIA 50 पैसे 50 PAISE

COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

CFB 7.50

RN/110-1/R/520/94

1-: मथुरा प्रसाद तनय मूरत प्रसाद उम्री 75 साल ॥ सभी निवासी ग्राम

2-: रविशंकर तनय रामसनेही उम्री 45 वर्ष ॥ पुरास, थाना -

3-: जगन्नाथ तनय कुन्ज बिहारी उम्र 40 वर्ष ॥ रायपुर कर्चुलियान

4-: लालमणि तनय रामप्रसाद उम्री 38 वर्ष ॥ पु. तह. हुजूर,

5-: रामपाल तनय जयराम ब्रा0 उम्री 55 वर्ष ॥ नयी तह. गुढ जि

6-: मुकुटधारी प्रसाद तनय रामप्रताप उम्री 56 वर्ष ॥ रीवा ॥ म. प्र. ॥

7-: नन्द कुमार तनय रामवर्ष ब्रा0 उम्री 45 वर्ष ॥

8-: कृष्ण कान्त तनय अन्जनी कुमार उम्री 21 वर्ष ॥,

9-: श्री मती रामकुमारी तनय रामप्रसाद उम्री 75 वर्ष

.... प्रार्थी गण

व नाम

1-: स्टेट आफ म. प्र. जरिये कलेक्टर महोदय, रीवा ॥ म. प्र. ॥

2-: ग्राम पंचायत पुरास जिला रीवा म. प्र. जरिये सरपंच ग्राम पंचायत पुरास जिला रीवा ॥ म. प्र. ॥

.... प्रति प्रार्थी गण

रिवीजन विरुद्ध आदेश व निर्णय आफ रेवन्यू एडि0 कमि0 रीवा संभाग फैसला दिनांक 26. 11. ई0 प्रकरण क्र0 66/90-91 बावत आराजियात पुराना ख. नं. 1070/1. 96, 1071/1 रकवई 13. 77 एकड 1071/2 रकवई 0. 15 एकड, 1071 रकवई 0. 20 डि0 1071/4 रकवई 0. 03 एकड़ 1071/5 रकवई 0. 03 एकड क्रमशः नया ख.नं. 1330 रकवई 1. 76 एकड, 1331 रकवई 13. 77 एकड, 1332 रकवई 0. 15 ए0, 1333 रकवई 0. 20 एकड़ 1334 रकवई 0. 03 ए0, 1335 रकवई 0. 03 ए0 जुमा

16.5.94

16.5.94

कार्यालय कलेक्टर, जिला रीवा
दिनांक 10 MAY 1994
10/5/94

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 520/94 जिला –रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
२८.१.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री रामस्वरूप शर्मा उपस्थित उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 66/90–91 में पारित आदेश दिनांक 26.11.93 के विरूद्व इस न्यायालय में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है कि आवेदकगणों की सभी आराजियां पैतृक संपति है जिनमें सभी प्रार्थीगण अपने अपने हक व हिस्से के अनुसार प्रार्थीगण वक्त रीवा राज्य से यानी पुस्त दर पुस्त से भूमि स्वामी की हैसियत कास्त करते चले आ रहे थे। ग्राम के सरपंच प्रार्थीगणों से नाखुश होकर ग्राम पंचायत अधिकारी रीवा से मिलकर अवैधानिक तरीके से बिना हक व अधिकार के 8.6.76 को नीलाम किये जाने का आदेश पूरे मौजे में प्रसारित करा दिया था जिसके विरूद्व आवेदकगणों ने अपर कलेक्टर रीवा से स्थगन भी प्राप्त किया था । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 27.4.87 को निगरानी खारिज कर दिया जिससे परिवेदित होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की जो दिनांक 8.9.81 को आदेश पारित कर अपर कलेक्टर एवं ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर को यह कहत हुये रिमाण्ड	

क्रमशः

किया था कि प्रकरण के साथ अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति संलग्न नहीं है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि निस्तारी तालाबों को शासन में हंस्तातरित करने के संबंध में आदेश दिया है। अपर आयुक्त के रीवा के आदेश दिनांक 26.11.93 के आदेश से परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3—आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने । आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमों में उल्लेख किये गये हैं । उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया ।

4— आवेदक अधिवक्ता के तर्कानुसार एवं उपलब्ध अभिलेख के अध्ययन अनुसार अपर आयुक्त ने मुख्य बिन्दु यह अपने आदेश में उठाया है कि उनके द्वारा पूर्व में आदेश पारित किया था और वह अपर कलेक्टर का प्रत्यावर्तित किया था जिसमें उन बिन्दुओं पर विचार किया गया कि नहीं । मुख्य रूप से अपर कलेक्टर द्वारा अर्द्व शासकीय पत्र दिनांक 7.8.73 को भेजकर तहसीलदार को तालाब हंस्तारित करने का आदेश दिया है जिससे प्रत्यावर्तित आदेश का पालन हुआ है। ऐसी स्थिति में निगरानी में कुछ तथ्य शेष नहीं रह जाता है।

5— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 6.11.93 स्थिर रखा जाता है। परिणमस्वरूप आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। उभयपक्ष सूचित हों ।

सदस्य